

प्रेस विज्ञप्ति

राजस्व विभाग, ३०प्र०

लेखपाल भर्ती परीक्षा- 2015

जनपद का नाम - उत्तराखण्ड

विज्ञापन संख्या ५०३३ /सात-भूलेख-

परीक्षा का नाम - लेखपाल राजस्व

दिनांक ०१ जुलाई- 2015

आवेदन पत्र स्वीकार (SUBMIT) किये जाने की अंतिम तिथि - २२-७-२०१५

परीक्षा शुल्क बैंक मे जमा करने की अंतिम तिथि - २१-७-२०१५

प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा लेखपाल के पद पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से निर्धारित प्रारूप पर आन - लाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। लिखित परीक्षा दिनांक ३०-८-२०१५ को किया जाना प्रस्तावित है। परीक्षा के समय तथा स्थल का उल्लेख प्रवेश पत्र पर उल्लिखित रहेगा, जिसे अध्यर्थियों द्वारा आन - लाइन प्राप्त किया जा सकता है।

रिक्तियों का विवरण -

क्रम	पद नाम	दिनांक ०१.०७.२०१५ को आयु	बेतनमान	कुल रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ी जाति	पद हेतु शैक्षिक अंहता	पद हेतु अधिमानी अंहता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	लेखपाल	न्यूनतम् १८ वर्ष अधिकतम् ४०वर्ष	रु ५२००- २०२००(प्रेड पे- २०००)	१७३	८६	३७	०३	४७	माध्यमिक शिक्षा परिषद ३०प्र० की इंटरमीडियट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा मे उत्तीर्ण	१- प्रदेशिक सेना मे न्यूनतम् दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या २- राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

- 1 लेखपाल पदों की भर्ती ३०प्र०लेखपाल सेवा नियमावली २००६यथासंशोधित २०१४एवं समय समय पर जारी किये गये शासनादेश एवं परिषदादेश के अनुसार लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा ८० अंक की तथा साक्षात्कार २० अंक का होगा।
- 2 दिनांक ०१.०७.२०१५ को अध्यर्थी की न्यूनतम आयु १८ वर्ष पूर्ण होना अनिवार्य है, साथ ही उक्त दिनांक को अध्यर्थी की अधिकतम आयु ४० वर्ष से अधिक न हो। आयु सीमा के सम्बन्ध मे उत्तर प्रदेश सेवाओं मे भर्ती (आयु सीमा) नियमावली- १९७२ यथा संशोधित २०१२ एवं वर्तमान मे प्रभावी नियमो मे उल्लिखित व्यवरथानुसार छूट प्रदान की जायेगी। रिक्त पदों की संख्या को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आने वाली श्रेणियों यथा ३०प्र० के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित, ३०प्र० के भूतपूर्व सैनिकों, ३०प्र०समाज के विकलांगों तथा ३०प्र० की महिला अध्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यतन शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।
- 3 आन-लाइन फार्म दिनांक २२.०७.२०१५ तक जमा किये जा सकेंगे। अनारक्षित (सामान्य) और पिछड़ा वर्ग के अध्यर्थियों से रु० ३००/- (+बैंक प्रभार अतिरिक्त) तथा ३०प्र० के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अध्यर्थियों को रु० १५०/- (+बैंक प्रभार अतिरिक्त) का आवेदन शुल्क ई-चालान के माध्यम से जिलाधिकारी उन्नाव के पक्ष मे देय होगा, जिसका उल्लेख आन लाइन आवेदन प्रपत्र पर किया जायेगा। आवंटित
- 4 प्रदेश के सभी जनपदों मे परिषद द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही अध्यर्थियों को परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध मे कोई भी प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- 5 परीक्षा वस्तुनिष्ठ ८० अंक की तथा साक्षात्कार २० अंक का होगा। परीक्षा सम्बन्धी जानकारी के सम्बन्ध मे तिथि, समय और परीक्षा एवं साक्षात्कार के आयोजन स्थल उम्मीदवारों को ई-प्रवेश पत्र के माध्यम से अध्यर्थियों द्वारा डाउनलोड किया जायेगा, जो कि परिषद कि वेबसाइट <http://bor.up.nic.in> और जिले की वेबसाइट <http://unnao.nic.in> पर उपलब्ध होगा।

- 6 आनलाइन आवेदन का प्रारूप ,आफ लाइन परीक्षा सम्बंधी निर्देश ,अन्य सामान्य निर्देश एवं परीक्षा सम्बंधी अन्य प्रसारित जानकारी व सम्पूर्ण विवरण परिषद की वेबसाइट <http://bor.up.nic.in> और जिले की वेबसाइट <http://unnao.nic.in> पर उपलब्ध होगा।
- 7 लेखपाल भर्ती परीक्षा 2015 के सम्बन्ध में पूर्व मे दिनांक 17.06.2015 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार जिन अभ्यर्थियो के परीक्षा शुल्क/फार्म रवीकार (**SUBMIT**) किये जा चुके है उन अभ्यर्थियो द्वारा पुनः परीक्षा शुल्क/फार्म नहीं भरे जायेगे। उनका अभ्यर्थन इस नयी विज्ञप्ति के लिए भी मान्य होगा।

(सौम्या अग्रवाल)
अध्यक्ष चयनसमिति /
जिलाधिकारी उन्नाव

संख्या समदिनांकित ।

प्रतिलिपि-

- 1 जिला सूचना अधिकारी ,उन्नाव को दो प्रतियों मे इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति को अमर उजाला व हिन्दुस्तान दैनिक समाचार-पत्र मे शासकीय दरों पर तत्काल प्रकाशित करायें तथा प्रकाशित विज्ञप्ति की दो-दो प्रतियां अभिलेख हेतु उपलब्ध करायें।
- 2 जिला सेवायोजन अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 3 जिला सूचना विज्ञान अधिकारी ,उन्नाव को इस निर्देश के साथ कि जनपद की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अध्यक्ष चयनसमिति /
जिलाधिकारी उन्नाव